

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 23 (1)लेखा /आकाशि /छात्रवृत्ति/ 2011-12 / २४५ दिनांक 16-08-2011

विषय:- निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के संबंध में।

निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर द्वारा नियमित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तिया स्वीकृत की जाती हैं। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

1 आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति:-

नूतन: यह छात्रवृत्ति राजस्थान के छात्र जिन्होंने 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंको से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित सैकेण्डरी /हायर सैकेण्डरी तथा उपाध्याय परीक्षा (संस्कृत) और स्नातक परीक्षा राजस्थान में स्थित महाविद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रु० मात्र) तक हो को स्वीकृत की जाती है। इस इस हेतु 1200 अवार्ड्स निर्धारित हैं। नूतन छात्रवृत्ति अध्ययन डिग्री के प्रथम वर्ष में स्वीकृत की जा सकती, आगामी वर्षों में नहीं है।

छात्रवृत्ति दर रु० 120/- प्रतिमाह- एडमिशन तिथि तथा (फीस जमा तिथि) से देय है। हॉस्टलर को रु० 200/- (रु० दो सौ मात्र) प्रतिमाह देय है। पी.जी. प्रवेश में रु० 240/- प्रतिमाह तथा हॉस्टलर को रु० 600/- प्रतिमाह रहने की तिथि से देय है।

नवीनीकरण: जिन छात्र/छात्राओं को गत वर्ष नूतन छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी केवल वे ही छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति हेतु आवदेन कर सकते हैं। इस हेतु 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छात्रवृत्ति दर रु० 180/- प्रतिमाह एडमिशन तिथि से मार्च तक देय होगी।

बजट मद- 2202-सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107-छात्रवृत्तियां, (01)छात्रवृत्तियां और वजीफा (आयोजना), 13-छात्रवृत्ति और वजीफा आयोजना (आयोजना)

2 महिला योग्यता छात्रवृत्ति:-

नूतन: इस छात्रवृत्ति में सीनियर हायर सैकेण्डरी परीक्षा के आधार पर उच्चतर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं को जिन्होंने 60 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित किये हों तथा अभिभावकों की वार्षिक आय रु० 1 लाख या इससे कम हो वे ही इस छात्रवृत्ति की पात्र होंगी इसके लिए 1200 अवार्ड्स निर्धारित हैं। नूतन छात्रवृत्ति अध्ययन डिग्री के प्रथम वर्ष में ही स्वीकृत की जा सकती, आगामी वर्षों में नहीं है।

छात्रवृत्ति दर रु० 120/- प्रतिमाह एडमिशन तिथि (फीस जमा तिथि) से देय है। हॉस्टलर को रु० 200/- (रु० दो सौ मात्र) प्रतिमाह देय है। पी.जी. प्रवेश में रु० 240/- प्रतिमाह तथा हॉस्टलर को रु० 600/- प्रतिमाह रहने की तिथि से देय है।

नवीनीकरण: जिन छात्राओं को गत वर्ष नूतन छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी, नवीनीकरण हेतु आवदेन कर सकती है। इस हेतु उत्तीर्ण परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होना अनिवार्य है।

छात्रवृत्ति रु० 180/- प्रतिमाह से मार्च तक देय है। हॉस्टलर को रु० 280/- प्रतिमाह से देय है। पी.जी. फाईनल हेतु रु० 240/- प्रतिमाह तथा हॉस्टलर को रु० 600/- प्रतिमाह रहने की तिथि से देय है।

बजट मद- 2202-सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107-छात्रवृत्तियां (01)छात्रवृत्तियां और वजीफा (आयोजना), 13-छात्रवृत्ति और वजीफा आयोजना (आयोजना)

3 उर्दू छात्रवृत्ति:-

नूतन: उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देने हेतु यह छात्रवृत्ति स्नातक स्नातकोत्तर पर केवल छात्राओं को उर्दू विषय (ऐच्छिक विषय) लेकर अध्ययन करने पर ही देय होगी। इस हेतु उत्तीर्ण परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। जो छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उर्दू विषय लेकर अध्ययन करेंगे उन्हें भी छात्रवृत्ति देय होगी। स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

डिग्री कक्षाओं में अध्ययनरत सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दर रु० 100/- (रु० एक सौ मात्र) प्रतिमाह देय है, तथा पी.जी. डिग्री में अध्ययनरत सभी छात्राओं को रु० 150/- प्रतिमाह देय है।

नवीनीकरण: जिन छात्र/छात्राओं को गत वर्ष नूतन छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी थी मात्र वे ही छात्र/छात्राएं नवीनीकरण हेतु छात्रवृत्ति के पात्र होंगे तथा उन्हें 50 प्रतिशत अंक एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

डिग्री कक्षाओं में अध्ययनरत सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दर रु० 100/- (रु० एक सौ मात्र) प्रतिमाह देय है, तथा पी.जी. डिग्री में अध्ययनरत सभी छात्रों को रु० 150/- प्रतिमाह देय है।

बजट मद- 2202-सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107-छात्रवृत्तियां (02)उर्दू विषयों के छात्रों को छात्रवृत्ति (आयोजना भिन्न) 13-छात्रवृत्ति और वजीफा आयोजना (आयोजना भिन्न)

4. स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति:-

नूतन:- राजस्थान के स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों / पोते/पोतियों जो किसी महाविद्यालय में अध्ययनरत एवं जिन्होंने गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा स्वतंत्रता सैनानियों की वार्षिक आय 14,400/- से अधिक नहीं, हो को यह छात्रवृत्ति देय होगी। आवदेन पत्र के साथ आय एवं राजनैतिक पीड़ित होने के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में जिला दण्ड न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित महाविद्यालयों के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक है। छात्रवृत्ति रु0 60/- (रूपये साठ मात्र) प्रतिमाह से देय हैं।

नवीनीकरण:- जिन छात्र/छात्राओं को गत वर्ष नूतन छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई हो तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर यह छात्रवृत्ति देय होगी।

बजट मद- 2202-सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107-छात्रवृत्तियां (01) छात्रवृत्ति और वजीफा (आयोजना भिन्न) 13-छात्रवृत्ति और वजीफा आयोजना (आयोजना भिन्न)

5. मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति:-

नूतन:- यदि राज्य सेवा में कार्य करते हुए किसी कर्मचारी का स्वर्गवास हो जाता है तो उनके बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्रता रखते हैं। राज्य सरकार के मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। छात्र का गत परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नूतन छात्रवृत्ति आवदेन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में मृत्यु प्रमाण पत्र तथा राज्य सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई-पद एवं विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

स्नातक स्तर पर छात्रवृत्ति रु0 500/-प्रति दस माह के लिए है तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रु0 750/-प्रति दस माह के लिए देय है।

नवीनीकरण:- प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति का नवीनीकरण पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होने की शर्तों पर किया जावेगा।

स्नातक डिग्री अध्ययन हेतु रु0 500/-प्रति दस माह के लिए तथा स्नातकोत्तर डिग्री अध्ययन हेतु रु0 750/-दस प्रति माह के लिए देय होगी।

बजट मद- 2202-सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107-छात्रवृत्तियां(01)छात्रवृत्तियां, और वजीफा (आयोजना भिन्न), 13-छात्रवृत्ति और वजीफा (आयोजना भिन्न)

6. ललित कला छात्रवृत्ति:-

(अ) राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर

नूतन:- इस योजना में ये ही छात्र/छात्राएं आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने राजस्थान संगीत संस्थान से मध्यमा/विशारद परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित कर विशारद/निपुण में प्रवेश लिया हो तथा माता-पिता आयकर दाता नहीं हो। विशारद को रु0 60/-प्रतिमाह और निपुण को रु0 120/-प्रति माह छात्रवृत्ति देय होगी।

नवीनीकरण:- छात्रवृत्ति का नवीनीकरण पिछली कक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी। विशारद को रु0 60/- प्रतिमाह और निपुण को रु 120/-प्रतिमाह छात्रवृत्ति देय होगी।

बजट मद- 2202-सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107-छात्रवृत्तियां(01) छात्रवृत्तिया और वजीफा (आयोजना भिन्न), 13-छात्रवृत्ति और वजीफा (आयोजना भिन्न)

(ब) राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, जयपुर

नूतन:- राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के फाउण्डेशन कोर्स में 60 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित कर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राएं ही आवेदन करने योग्य होंगे तथा जिन छात्र/छात्राओं के माता-पिता आयकर नहीं देते हो। डिप्लोमा को रु0 60/-प्रति माह छात्रवृत्ति देय होगी।

नवीनीकरण:- नवीनीकरण हेतु विद्यार्थियों को गत वर्ष की उत्तीर्ण परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है। डिप्लोमा हेतु रु0 90/-प्रतिमाह छात्रवृत्ति देय होगी।

बजट मद- 2202-सामान्य शिक्षा, 03- विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107-छात्रवृत्तियां(01) छात्रवृत्तिया और वजीफा (आयोजना भिन्न), 13-छात्रवृत्ति और वजीफा (आयोजना भिन्न)

7 राजस्थान की पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृत्ति:-

नूतन:-राजस्थान के पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एवं राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु यह छात्रवृत्ति प्रारम्भ की गयी है ऐसी उत्तीर्ण छात्राएं ही आवेदन की पात्र होगी, जिनके माता-पिता आयकर दाता नहीं हो। आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से इस निदेशालय को निर्धारित तिथि तक जमा कराना आवश्यक है छात्रवृत्ति दर रु0 150/-प्रतिमाह एडमिशन तिथि से देय है।

नवीनीकरण:-जिन छात्राओं को गत वर्ष में नूतन छात्रवृत्ति मिली हो तथा इस वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे ही छात्रवृत्ति की पात्र होगी। छात्रवृत्ति दर रु0 150/-प्रतिमाह दर से देय है।

बजट मद- 2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, 107-छात्रवृत्तियां, 03-भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों को छात्रवृत्ति (आयोजना भिन्न)

8 कारिगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति:-

नूतन:-कारिगिल कार्यवाही में शहीद राजस्थान के सैनिकों के आश्रितों के कल्याण एवं उन्हें उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने हेतु यह छात्रवृत्ति प्रारम्भ की गई है। महाविद्यालयों की अनुशंशा किया हुआ आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर को निर्धारित तिथि तक पहुंच जाना चाहिए। आवेदक को अन्य कोई छात्रवृत्ति या ऋण भिल रही हो तो यह छात्रवृत्ति देय नहीं है। प्राप्त आवेदन पत्रों पर निदेशक कॉलेज शिक्षा, विभाग जयपुर द्वारा छात्रवृत्ति रु0 300/- (रु0 तीन सौ मात्र) प्रतिमाह स्वीकृति की जावेगी।

नवीनीकरण:-परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं ही इसके पात्र होंगे। छात्रवृत्ति रु0 300/-प्रतिमाह देय है।

9 शोध छात्रवृत्ति:-

नूतन:- यह छात्रवृत्ति राजस्थान के मूल निवासी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में शोध करने वाले छात्रों को दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर भेजी जाती है तथा स्वीकृति प्राप्त होने पर निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, विभाग द्वारा डिमाण्ड ड्रॉफ्ट बनवाकर संबंधित संस्था प्राचार्य को भेजे जाते हैं।

नवीनीकरण:-जिन छात्र/छात्राओं को नूतन छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई हो वे ही इसके पात्र होंगे। यह छात्रवृत्ति भी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है तथा स्वीकृति प्राप्त होने पर निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, विभाग द्वारा डिमाण्ड ड्रॉफ्ट बनवाकर संबंधित संस्था प्राचार्य को भेजे जाते हैं।

10 मिलिट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून) छात्रवृत्ति:-

नूतन:- यह छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर निदेशालय, को भेजी जाती है। निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग में स्वीकृति प्राप्त होने पर डिमाण्ड ड्रॉफ्ट बनवाकर संबंधित संस्था प्राचार्य को भेजे जाते हैं। छात्रवृत्ति रु0 2700/-वार्षिक देय है।

11 भारत-पाक एवं चीन युद्ध में मृतक अथवा अपंग सैनिकों के बच्चों/उनकी विधवाओं को छात्रवृत्ति:-

नूतन:-उपरोक्त युद्ध में मृतक अथवा अपंग सैनिकों के बच्चों/विधवाओं को एन्टाईटिलपेन्ट कार्ड के आधार पर छात्रवृत्ति दी जावेगी। यह छात्रवृत्ति स्नातक कक्षा तक ही देय है। यह छात्रवृत्ति राजकीय/अराजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र को दी जावेगी।

नवीनीकरण:-जिनकों पूर्व में नूतन छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई हो तथा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र को नवीनीकीरण छात्रवृत्ति देय होगी।

छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:-

- 1 गत वर्ष 2011 में (वर्ष 2011-12 के लिए) उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका की सत्यापित प्रतिलिपि।
- 2 आय प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2010-11 के संदर्भ में।
- 3 प्रवेश प्रमाण पत्र, वर्ष 2011 में जिस कक्षा में प्रवेश लिया है, उसकी प्रवेश तिथि रूपरूप करते हुए निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करना आवश्यक है।
- 4 छात्र यदि छात्रावास में रहता है तो वार्डन द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, जिसमें छात्र की एडमिशन तिथि, निवास करने की तिथि कमरा नं0 फीस जमा की ढी0 ढी0 नम्बर, दिनांक व राशि अंकित हो संलग्न करे। वार्डन अपना नाम, पद, रक्षाई पता, तथा मोबाइल नं0 अंकित करें। उक्त मूल प्रमाण पत्र तथा छात्रावास फीस जमा की मूल रसीद पर संस्था प्रधान के प्रति हस्ताक्षर करवाकर संलग्न करे।
- 5 छात्र/छात्रा का बचत खाता नं0, बैंक का नाम, पता, फार्म के मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए बैंक पासबुक की फोटो प्रति संलग्न की जावे।

आय प्रमाण पत्र के प्रयोजनार्थ उल्लेख है कि:-

- 1 आय परीक्षण के प्रयोजन के लिए माता पिता एवं छात्र सभी की आय को शामिल किया जावेगा।
- 2 वेतन भोगी कर्मचारी आय का प्रमाण पत्र, नियोक्ता अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करे। वेतन भोगी कर्मचारियों की वार्षिक आय से आशय वेतन एवं समस्त भत्तों से है।
- 3 पेशन भोगी कर्मचारी पेशन आदेश की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करे साथ ही पेशन एवं महंगाई भत्तों का प्रमाण पत्र भी संलग्न करे।
- 4 अन्य स्त्रोत से आय के मामले में आयकर लगने वाले व्यक्ति को आयकर विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है जिसमें गत वर्ष की वास्तविक आय दर्शायी जानी चाहिए।
- 5 कृषि से आय के लिए राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमें गत वर्ष की (2010-11) की वास्तविक आय दर्शाना आवश्यक है।

- नोट:- (1) जिस छात्र को एक छात्रवृति मिल रही हो दूसरी अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृति देय नहीं है। अतः रांथा प्रधान ऐसे छात्र का आवेदन पत्र अग्रेषित नहीं करें।
(2) छात्रवृति आवेदन फॉर्म पूर्ण एवं सही भरकर निर्धारित तिथि तक निदेशालय में हार्ड कापी तथा सोफ्ट कापी के साथ (सीडी में) संरथा प्रधान द्वारा जमा करना आवश्यक है। अपूर्ण एवं अन्तिम तिथि बाद प्राप्त फॉर्म पर विचार नहीं किया जावेगा। इसकी जिम्मेदारी संरथा प्रधान तथा आवेदक स्वयं की होगी। बिना साफ्ट कापी(सीडी के बिना) आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
(3) नियमित अध्ययन में अन्तराल होने पर छात्रवृति देय नहीं होगी।

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ 23(101)एन.सी.एम./आकाशि/09-10/ 286-0296 दिनांक 16.8.2011

प्रतिलिपि:- निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 3 संयुक्त निदेशक, (छात्रवृति) निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
- 5 समस्त प्राचार्य राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, राजस्थान,
- 6 संहायक निदेशक, क्षेत्रिय कार्यालय, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, और उदयपुर को अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों में सूचना कराने हेतु।
- 7 कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/जे.एन.व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर/एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर/राज0 कृषि/महाराजा श्री गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर/कोटा विश्वविद्यालय कोटा, विभागाध्यक्षों/ महाविद्यालयों को सूचित कराने का श्रम करावें।
- 8 निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 9 स्टोर कीपर /कैशियर निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 10 रक्षण पत्रावली।
11. **वैनसा.इट अनुभवग्र को अप्लॉड करें हेतु।**

संयुक्त निदेशक, (छात्रवृति)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर


आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :— एफ 23(50)लेखा/आकाशि/भू.पू.सै.छात्रवृत्ति/अभिवृद्धि/2017-18/935 दिनांक : 22/1/18

आदेश

वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर की आईडी संख्या 101706845 दिनांक 08.01.2018 की स्वीकृति अनुसार राजस्थान की पूर्व सैनिकों की प्रतिमावन पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति एफ23(1)लेखा/आकाशि/छात्रवृत्ति/2011-12/285 दिनांक 16.08.2011 से छात्रवृत्ति दर रुपये 150/- प्रतिमाह के स्थान पर 500/- रुपये प्रतिमाह(5000/- रु. प्रतिवर्ष) प्रतिस्थापित की जाती है।

योजना की पात्रता के लिये पूर्व में निर्धारित मापदण्ड यथावत रहेंगे।



(आशुतोष ए.टी. पेंडेकर)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं ज्ञासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(50)लेखा/आकाशि/भू.पू.सै.छात्रवृत्ति/अभिवृद्धि/2017-18/936-941 दिनांक : 22/1/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 4 प्रधान महालेखाकार, लेखा व हक राजस्थान, जयपुर।
- 5 समस्त प्राचार्य, राजकीय /निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, राजस्थान।
- 6 प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु।



(एन.एल. शर्मा)
वित्तीय सलाहकार